

मांग संख्या .  
मुख्य शीर्ष 2049

**मद क्रमांक 1**

राज्य की विकासीय योजनाओं के लिये प्राप्त ऋण के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 44.60 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,60,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये ऋणों पर ब्याज भुगतान के लिये राशि रुपये 44,11,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,11,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या ..  
मुख्य शीर्ष 6003

**मद क्रमांक 1**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज की अदायगी हेतु राशि रुपये 4,37,34,800 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,37,34,800 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01  
मुख्य शीर्ष 2012

**मद क्रमांक 1**

राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिये चिकित्सा पूर्ति के अंतर्गत अग्रिम रूपये 10 हजार केवल का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन राशि रूपये 10,000/- के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2013

**मद क्रमांक 2 - 4**

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 की धारा 4 में संशोधन होने के फलस्वरूप सत्कार भत्ता निर्वाचन क्षेत्र भत्ता एवं दैनिक भत्ता मद में वर्ष के दौरान कुल राशि रूपये 117.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,17,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

मा. मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान में आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 10.00 करोड़ स्वीकृत की गई है। आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की राशि को शामिल करते हुये एवं वर्तमान व्यय की स्थिति को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष में रूपये 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रूपये 15,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

**मद क्रमांक 6 - 8**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर कार्यालय हेतु फर्नीचर अनुरक्षण, वेतन एवं भत्ता, मकान किराया हेतु राशि रुपये 7.95 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,95,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

### मद क्रमांक 9

मंत्रालय पुस्तकालय के लिये समाचार पत्र, पुस्तकें, नियत कालीन पत्रिकाओं के क्रय हेतु राशि रुपये 6.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10 - 12

आवासीय आयुक्त म.प्र. भवन नई दिल्ली कार्यालय के लिये वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय एवं वाहन अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 34.03 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रू. 34,03,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

### मद क्रमांक 13

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत लोक सेवा केन्द्रों के लिये सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

### मद क्रमांक 14 - 20

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ हेतु वर्ष 2012-13 के दौरान वेतन भत्ते, मजदूरी, दूरभाष, बिजली एवं जल प्रभार एवं वाहन अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 23.65 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 23,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2059

### मद क्रमांक 21

मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली, में स्थाई संपत्तियों के अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 30.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000/- के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 22 - 24

मुख्य तकनीकी परीक्षक कार्यालय के अंतर्गत महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं ग्रेड-पे के अंतर्गत वर्ष के दौरान राशि रुपये 30.70 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 30,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

### मद क्रमांक 25 - 32

प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता प्रशिक्षण, विदेश यात्रा, सेमीनार, व्यवसायिक सेवाएं हेतु अदायगियां, बिजली, पानी एवं दूरभाष मद में स्वीकृत बजट के विरुद्ध रुपये 35.15 लाख के अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 35,15,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 33 - 58**

लोकायुक्त संगठन हेतु वर्ष 2012-13 में वेतन भत्ते, मकान किराया, पारितोषिक/सम्मान, अवकाश यात्रा सुविधा, यात्रा भत्ता, फर्नीचर व्यय, पुस्तकें, पत्रिकाओं बिजली एवं जल प्रभार, वर्दियां, लेखन सामाग्री, अन्य आकस्मिक व्यय पेट्रोल तेल, मुद्रण एवं प्रकाशन, नवीन वाहनों का क्रय, परीक्षा एवं प्रशिक्षण, व्यवसायिक सेवा हेतु अदायगियां, अनुरक्षण कार्य, गोपनीय सेवायें, मद में राशि रूपये 342.16 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,42,16,000/- के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

**मद क्रमांक 59**

प्रदेश के लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत लोक सेवा केन्द्र के वृहद निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2012-13 के दौरान राशि रूपये 5.00 करोड़ के अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 60**

ब्यूरो प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य के लिये राशि रूपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 61**

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ब्यूरो जबलपुर के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिये राशि रूपये 7.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 7,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02  
मुख्य शीर्ष 2070

**मद क्रमांक 1 - 5**

राज्य के अतिथियों की सत्कार व्यवस्था हेतु अन्य आकस्मिक व्यय, आतिथ्य पर व्यय, पेट्रोल तेल तथा व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियों, परीक्षा एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु कुल राशि रूपये 55.001 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 55,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03  
मुख्य शीर्ष 2055

**मद क्रमांक 1 - 5**

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत महंगाई भत्ते, अन्य भत्ता, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं ग्रेड पे मदों के लिये राशि रूपये 11.85 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 11,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6 - 15**

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु वेतन भत्तों, कार्यभारित तथा आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन, बिजली तथा जल प्रभार मदों में रूपये 7,51,30,000 के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 7,51,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 16 - 25

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु वेतन भत्तों, वाहन एवं फर्नीचर अनुरक्षण, स्टेशनरी, पेट्रोल एवं तेल, अभिभाषकों की फीस, सफाई व्यवस्था में रुपये 35,10,300/- के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,10,300/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 26 - 30

महानिदेशक पुलिस कार्यालय हेतु वर्ष 2012-13 के अंतर्गत वेतन भत्ते, अन्य भत्ते, उपकरण क्रय, सफाई व्यवस्था एवं अन्य व्यवसायिक सेवाओं की अदायगी हेतु राशि रुपये 7,06,48,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,06,48,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 31 - 34

संचालक लोक अभियोजन के अंतर्गत वेतन, मंहगाई भत्ता, दूरभाष व्यय एवं अन्य भत्ते हेतु वर्ष 2012-13 के दौरान राशि रुपये 1,78,50,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,78,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 43

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के लघु निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 35 - 42,44

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के लिये वेतन भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, किराया राशन/भोजन व्यय, अभिभाषक की फीस, सफाई व्यवस्था, उपकरणों का किराया, सामग्री एवं पूर्तियां आदि मदों के लिये रुपये 61,40,05,100 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 61,40,05,100/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 45 - 46

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु वेतन भत्ते मद में रुपये 1.04 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 47 - 48

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु वेतन भत्ते मद में रुपये 89.20 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 89,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 49 - 54

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के लिये वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भूमि का क्रय /अधिग्रहण एवं अभिभाषकों की फीस, सफाई व्यवस्था मदों के लिये राशि रुपये 4,06,30,000/- की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 4,06,30,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 55 - 58

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु वेतन भत्ते आदि मद में रुपये 52.74 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 52,74,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 59 - 62

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु वेतन भत्ते मद में रुपये 12,83,000/- के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,83,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 63 - 66

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के लिये वेतन, ग्रेड वेतन, अन्य भत्ता एवं वेतन मदों के लिये राशि रुपये 293.52 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,93,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 67 - 75

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते एवं अभिभाषकों की फीस, सफाई व्यवस्था, अन्य मद, शस्त्र और गोला बारूद, अन्य प्रभार आदि के लिये राशि रुपये 2,34,00,400 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,34,00,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 76 - 78

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत वेतन महंगाई भत्ते एवं ग्रेड वेतन मदों के लिये राशि रुपये 25.20 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 79 - 83

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु वर्ष 2012-13 के लिये वेतन भत्ते, डिक्रीधन के भुगतान, लघु निर्माण कार्य एवं भूमि का क्रय/अधिग्रहण मदों के अंतर्गत रुपये 2,02,02,67,000 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,01,52,67,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 50,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 84

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु वेतन भत्ते (ग्रेड पे) में रुपये 20,000 के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 85

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत थानों के सुदृढीकरण के उद्देश्य से कार्यालय फर्नीचर क्रय के लिये राशि रुपये 1190.87 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,90,87,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 86

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत वेतन मदों के लिये राशि रुपये 17.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 87

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत भूमि व भवनों का क्रय/अधिग्रहण के लिये राशि रुपये 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 88

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु कार्यालय व्यय मद में दूरभाष व्यय हेतु राशि रुपये 15,000 के व्यय की संभावना है, व्यय की प्रतिपूर्ति बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 89 - 104

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु वेतन भत्तों, पारितोषिक, पुरस्कार, सम्मान, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, अनुरक्षण कार्य, सामग्री एवं पूर्तियां, सहायक अनुदान, अन्य प्रभार एवं मशीनें हेतु रुपये 79,95,900 के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 79,95,900 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 105 - 122

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु वेतन भत्तों, मजदूरी, पारितोषिक, पुरस्कार, सम्मान, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, अनुरक्षण कार्य, सामग्री एवं पूर्तियां, सहायक अनुदान एवं मशीनें उपकरण मद में रुपये 635.01 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,35,01,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 123

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु वेतन भत्ते (ग्रेड पे) हेतु रुपये 3.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 124 - 133

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के लिये वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं की अदायगियां हेतु राशि रुपये 35,00,300 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 134 - 139

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु वर्ष 2012-13 में वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण एवं अभिभाषक फीस मदों के लिये रुपये 861.86 लाख के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,61,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 140 - 145**

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु वेतन भत्ते, सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन, सफाई व्यवस्था, फर्नीचर अनुरक्षण, सामग्री एवं पूर्तियां, खपने वाला सामान हेतु रूपये 1,14,00,200 के व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,14,00,200/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 146**

पुलिस महानिदेशक कार्यालय हेतु कार्यालय उपकरण मद में रूपये 2,00,000/- व्यय की संभावना है व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 147 - 188**

महानिदेशक पुलिस कार्यालय हेतु वेतन भत्ते, मजदूरी, पारितोषिक पुरस्कार, सम्मान, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, वाहनों का प्रतिस्थापन, प्रशिक्षण, सेमीनार, कार्यशाला, सम्मेलन, व्यावसायिक सेवाओं की अदायगियां, अनुरक्षण कार्य, सामग्री एवं पूर्तियां, अन्य प्रभार, गोपनीय सेवा हेतु राशि रुपये 745.65 लाख के व्यय की संभावना है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 4600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

**मद क्रमांक 189 - 190**

होमगार्ड्स के भोजन भत्ते एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय की दर में वृद्धि होने से राशि रुपये 1755.19 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 17,55,19,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 191 - 194**

प्रधान सेनानी कार्यालय हेतु वेतन भत्ते, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं ग्रेड पे एवं बिजली एवं जल प्रभार के अंतर्गत राशि रुपये 113.53 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,13,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 195**

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण मदों के लिये राशि रुपये 3.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

**मद क्रमांक 196**

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत वृहद् निर्माण कार्य मदों के लिये राशि रुपये 9.58 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 9,58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4216

**मद क्रमांक 197**

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मदों के लिये राशि रुपये 2.10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 198**

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मदों के लिये राशि रुपये 60.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04  
मुख्य शीर्ष 2070**मद क्रमांक 1**

स्टेट गैरेज में उपलब्ध वाहनों के अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 2**

संचालनालय संपदा के अंतर्गत तिलहन संघ एवं म.प्र. परिवहन निगम के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान मद के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान हेतु रुपये 2.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

संचालनालय, संपदा के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 4 - 8**

राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत वर्ष के दौरान राशि रुपये 2,84,000/- की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,84,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9 - 10**

राज्य सैनिक बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अंतर्गत वेतन भत्ते के अंतर्गत वर्ष के दौरान राशि रुपये 39.95 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 39,95,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



मांग संख्या 05  
मुख्य शीर्ष 2056

**मद क्रमांक 1 - 6**

जेल निदेशन तथा प्रशासन हेतु वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय के अंतर्गत राशि रुपये 14.23 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

मध्यप्रदेश जेल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना अंतर्गत महंगाई भत्ते हेतु राशि रुपये 70,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

मध्यप्रदेश जेलों में बंदियों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अन्य प्रभार अंतर्गत राशि रुपये 38.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9 - 15**

केन्द्रीय तथा जिला जेल हेतु वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं की अदायगियां, सामग्री एवं पूर्तियां हेतु राशि रुपये 346.83 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,46,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06  
मुख्य शीर्ष 2049

**मद क्रमांक 1**

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 2 - 6**

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिये वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सुविधा एवं ग्रेड-पे लिये अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

शासकीय कर्मचारियों की कन्याओं को वोकेशनल शिक्षण/प्रशिक्षण देने हेतु राशि रुपये 9,99,500 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,99,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राशि रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2054

**मद क्रमांक 9**

अभिभाषकों की फीस हेतु रुपये 6.00 लाख की आवश्यकता है। राशि की प्रतिपूर्ति उपलब्ध बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

संचालनालय कोष एवं लेखा के अंतर्गत परिवहन व्यवस्था हेतु रुपये 12.00 लाख की आवश्यकता है। उक्त राशि की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6003

### मद क्रमांक 11

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को देय मूलधन का पुनर्भुगतान किया जाना है, जिस हेतु राशि रुपये 4,67,09,700 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,67,09,700 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07

मुख्य शीर्ष 2030

### मद क्रमांक 1

उपपंजीयक कार्यालयों में दस्तावेज रखने हेतु कार्यालयीन फर्नीचर क्रय मद में अतिरिक्त राशि रुपये 91.00 लाख व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 91,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2039

### मद क्रमांक 2 - 3

प्रतिस्थापन के आधार पर वाहन क्रय तथा किराये के वाहन का उपयोग करने हेतु राशि रुपये 84.99 लाख अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 84,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08

मुख्य शीर्ष 2029

### मद क्रमांक 1 - 2

पदाधिकारियों को सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख में प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण संस्था के अंतर्गत फर्नीचर क्रय एवं खपने वाला सामान मद में कुल राशि रुपये 57.39 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,39,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

### मद क्रमांक 3 - 7

राजस्व बोर्ड योजना अन्तर्गत मकान किराया भत्ता, ग्रेड-पे, यात्रा भत्ता, लेखन सामग्री एवं लघु निर्माण हेतु कुल राशि रू. 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रू. 20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

### मद क्रमांक 8

प्रमुख राजस्व आयुक्त जिला स्थापना अंतर्गत डिक्रीधन के भुगतान हेतु रुपये 26.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9 - 11

प्रमुख राजस्व आयुक्त के उप संभागीय स्थापना अंतर्गत बिजली एवं जल प्रभार, किराया महसूल एवं स्थानीय कर तथा परीक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु रुपये 1.73 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,73,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

प्रमुख राजस्व आयुक्त स्थापना अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 2,49,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,49,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	09
मुख्य शीर्ष	2058

### मद क्रमांक 1 - 2

नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री अंतर्गत वाहन भत्ता एवं मकान किराया भत्ता मद में कुल राशि रुपये 2.70 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3 - 4

लेखन सामग्री तथा स्टोर्स के शाखा कार्यालय अंतर्गत वाहन भत्ता एवं मकान किराया भत्ता मद में कुल राशि रुपये 2.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5 - 7

शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय अंतर्गत वाहन भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं ग्रेड-पे में कुल राशि रुपये 80.07 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 80,07,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	10
मुख्य शीर्ष	2055

### मद क्रमांक 1 - 3

वनों की अभिरक्षा हेतु विशेष पुलिस योजना के अंतर्गत वेतन, भत्ते मद में रुपये 65.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2216
-------------	------

### मद क्रमांक 4

भोपाल एवं इंदौर स्थित वन विभाग के विश्राम गृहों के लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2406
-------------	------

**मद क्रमांक 5**

वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन हेतु भारत सरकार से रुपये 216579045 प्राप्त हुये है, इस राशि में कुछ करों के भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाना है। इस हेतु नया मद होने के कारण प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की पूर्ति बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

सेटेलार्इट इमेजरी योजना अंतर्गत रुपये 10.30 करोड़ का व्यय होना संभावित है। यह राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	11
मुख्य शीर्ष	2230

**मद क्रमांक 1**

आवेदको को उद्योगो की अपेक्षाओं के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत नवीन मद के रूप में राशि रुपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2851
-------------	------

**मद क्रमांक 2**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु वेन्डर डेवलपमेंट मार्केटिंग सपोर्ट के लिये नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत अनुदान प्रदाय में नवीन विस्तृत शीर्ष हेतु राशि रुपये 1000/- का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

पावरलूम बुनकरों के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कार्य एवं आधुनिकीकरण हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु राशि रुपये 10.52 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,52,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 - 7**

जिला उद्योग केन्द्र के अंतर्गत मकान किराया भत्ता, फर्नीचर का क्रय एवं उपकरणों के क्रय हेतु राशि रुपये 87.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2852
-------------	------

**मद क्रमांक 8 - 10**

मध्यवर्ती कार्यालय अंतर्गत बिजली एवं जल प्रभार, लेखन सामग्री एवं फार्म एवं परिवहन व्यवस्था हेतु राशि रुपये 12.37 लाख का अतिरिक्त व्यय

संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,37,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

डिस्टिनेशन म.प्र. इन्वेस्टमेंट ड्राइव हेतु अनुदान के लिये रुपये 400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

अएपेरल ट्रेडिंग एवं डिजाइन सेन्टर की स्थापना के लिये राशि रुपये 74.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 74,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

राज्य स्तरीय इन्वेस्टमेंट कारीडोर्स विकास हेतु राशि रुपये 70.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14

मध्यप्रदेश ट्रायफेक को संधारण अनुदान हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 15

अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रचार-प्रसार के तहत रिवर्सबायर सैलरमीट इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा दिल्ली व्यापार मेला के लिये अनुदान हेतु राशि रुपये 158.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,58,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 16

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अंतर्गत राशि रुपये 1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

### मद क्रमांक 17

रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें के रजिस्ट्रार कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था करने के लिये उपकरणों के क्रय हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4851

### मद क्रमांक 18

जिलों में औद्योगिक अधोसंरचना विकास कार्य हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगवां जिला सागर में जल प्रदाय योजना के उन्नयन हेतु राशि रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 20**

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12  
मुख्य शीर्ष 2045

**मद क्रमांक 1 - 2**

कैंसर एवं हृदय रोग के मरीजों के चिकित्सा देयक एवं मकान किराया भत्ता के भुगतान हेतु राशि रुपये 4.25 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 9**

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत गठित विशेष अदालतों का गठन हुआ है। जिसके वेतन भत्तों एवं कार्यालय व्यय में रुपये 85.79 लाख के अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 85,79,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

**मद क्रमांक 10**

विद्युत वितरण कंपनियों को टैरिफ अनुदान भुगतान हेतु राशि रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

कृषकों को नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत कंपनियों को रुपये 50.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय मान्य करते हुये राशि का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

**मद क्रमांक 12**

सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई क्रमांक 10 एवं 11 (2 इन्टू 250 मेगावाट) हेतु रुपये 64.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 64,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

मालवा ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण (2 इन्टू 600) मेगावाट हेतु रुपये 55.00 करोड़ धनवेष्टन की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था हेतु रुपये 114.90 करोड़ के अतिरिक्त धनवेष्टन की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,14,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिये रुपये 26.60 करोड़ के अतिरिक्त धनवेष्टन की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण हेतु रुपये 19.62 करोड़ के अतिरिक्त धनवेष्टन की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु 19,62,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

**मद क्रमांक 17**

विद्युत वितरण कंपनियों के लिये रुपये 350.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18**

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत रुपये 6.85 करोड़ की राशि का अतिरिक्त व्यय किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,85,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 1**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के अंतर्गत अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृंद (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला) योजना के अंतर्गत बैकलाग पदों की पूर्ति हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से परीक्षा आयोजित कराने के लिये राशि रुपये 301.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,01,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र., भोपाल के अंतर्गत राज्य माइक्रों सिंचाई मिशन योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 57.19 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,19,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 5**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र., भोपाल के अंतर्गत बीज क्षेत्र में सुदृढीकरण एवं प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 18.75 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,75,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र., भोपाल के अंतर्गत खाद भण्डारण पर ब्याज अनुदान योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 375.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,75,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 - 9**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र., भोपाल के अंतर्गत जैविक खेती को प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु रूपये 222.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 2,22,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र., भोपाल के अंतर्गत प्रोजेक्ट आन एगो क्लाइमेटिक जोन आफ एम.पी. योजना के क्रियान्वयन हेतु रूपये 56.25 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 56,25,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन योजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रूपये 300.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12 - 13**

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत शासकीय मशीन, ट्रेक्टर स्टेशन योजनान्तर्गत कृषि यांत्रिकी संचालनालय की स्थापना के अधिकारियों/ कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ते/ वाहन परिवहन भत्ते के स्वत्वों /एरियर्स के भुगतान हेतु राशि रूपये 26.80 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 26,80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14 - 15**

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत शासकीय मशीन, ट्रेक्टर स्टेशन योजनान्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के गृह-भाड़ा भत्ते/वाहन परिवहन भत्ते के स्वत्वों के भुगतान हेतु राशि रूपये 21.70 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 21,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र., भोपाल के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 5318.45 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 53,18,45,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14  
मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 1 - 2**

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत पशु चिकित्सालय एवं पशु औषधालय के सुदृढीकरण हेतु राशि रूपये 275.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 2,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 9**

संचालक पशु चिकित्सा सेवार्य के तहत गहन पशु विकास परियोजना के अंतर्गत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भत्तों एवं सामग्री एवं पूर्तियां हेतु राशि रूपये 267.99 लाख का प्रावधान किया जाना है।



अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,67,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10 - 12

केन्द्र क्षेत्रीय योजनान्तर्गत पशु संगणना की योजना हेतु राशि रुपये 512.18 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,12,18,000/- के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13 - 15

दुग्ध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उपलब्धता योजना अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 45.34 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 45,34,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 16

डेयरी संचालन विकास और विस्तार गतिविधियों के अंतर्गत रुपये 1195.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 17 - 18

केन्द्र क्षेत्रीय योजनान्तर्गत एन.ए.डी.ए.आर.एस.ए. योजना हेतु राशि रुपये 3.15 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,15,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 19

इंदौर जिले में केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत स्वच्छ दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना के सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 56.26 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 56,26,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 20

संचालक, पशु पालन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 1397.10 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,97,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	15
मुख्य शीर्ष	2215

### मद क्रमांक 1

भारत सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशों के तहत संधारण कार्य पर कुल बजट का 10 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत तक राशि का उपयोग किया जा सकेगा। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से समतुल्य राज्यांश का व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 417.55 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 417.55 लाख इस प्रकार कुल रुपये 835.10 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,35,10,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2235
-------------	------



200/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 234.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,34,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 से 79 वर्ष आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रुपये 200/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रुपये 500/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की ग्राम पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 429.39 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,29,39,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

### मद क्रमांक 11

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना को तहत 75 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 16

मुख्य शीर्ष 2405

### मद क्रमांक 1 - 2

संचालनालय मत्स्योद्योग के कर्मचारियों के मकान भत्ता वेतन एवं ग्रेड-पे के भुगतान हेतु राशि रुपये 6.30 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,30,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3 - 4

मछुआ कल्याण बोर्ड के संचालन हेतु बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 10.00 लाख एवं पोषण अनुदान हेतु रुपये 10.00 लाख कुल राशि रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000/- के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5 - 8

विभिन्न संवर्गों के 117 पदों के सीधी भर्ती हेतु व्यापम के माध्यम से आयोजित परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिये सेवा अदायगियों के शेष भुगतान हेतु राशि रुपये 13.83 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,83,000/- के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9 - 10

पशु चिकित्सा विज्ञान वि.वि. जबलपुर के लिये संधारण अनुदान तथा परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु रुपये 100-100 कुल रुपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11 - 13

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु राशि रुपये 306.70 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,06,70,000/- के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17  
मुख्य शीर्ष 2425

**मद क्रमांक 1**

गृह भाड़ा भत्ता की दरों में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप सहकारिता विभाग के शासकीय सेवकों के स्वत्वों के भुगतान हेतु राशि रुपये 50,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में प्रतीक प्रावधान रखा गया है। अतएव 15 वाहन किराये पर लेने हेतु राशि रुपये 5.76 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6425

**मद क्रमांक 3**

भण्डार गृह निर्माण हेतु कर्ज मद के लिये राशि रुपये 375.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 18  
मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 1 - 4**

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत राज्य बीमा चिकित्सालय के लिये यात्रा भत्ता, बिजली पानी, स्टेशनरी एवं दवाईयों के अंतर्गत रुपये 402.95 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,02,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 - 6**

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें प्रशासन के अंतर्गत अन्य भत्ते एवं डाक तार के लिये वर्ष 2012-13 के दौरान राशि रुपये 4.05 लाख अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 - 11**

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, अनुरक्षण कार्य एवं दवाईयों का क्रय हेतु वर्ष 2012-13 के दौरान राशि रुपये 40.95 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

**मद क्रमांक 12 - 17**

श्रमायुक्त कार्यालय के लिये वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतर्गत वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, परीक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु कुल राशि रूपये 7.95 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 7,95,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18 - 20**

मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय इन्दौर के अंतर्गत वेतन भत्ते एवं परीक्षण मदों में वर्ष के दौरान रूपये 43.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 43,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 21 - 24**

श्रमायुक्त कार्यालय के लिये वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन हेतु कुल राशि रूपये 92.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 92,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 25 - 27**

मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय इंदौर के अंतर्गत वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय आदि मद में वर्ष के दौरान राशि में कुल रूपये 117.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रू. 117,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 28 - 30**

श्रमायुक्त कार्यालय के लिये औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतर्गत कार्यालय व्यय एवं अनुरक्षण कार्य हेतु कुल राशि रूपये 2.87 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 2,87,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19  
मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 1 - 3**

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सालयों के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रूपये 381.05 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 3,81,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये केन्द्रांश के विरुद्ध राज्यांश 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत किये जाने के कारण राज्यांश मद में राशि रूपये 80.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

संचालक विकिरण सुरक्षा हेतु एक नवीन वाहन क्रय किया जाना है। आवश्यक राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय वृद्धजन हेल्थ केयर कार्यक्रम योजना में राज्यांश की राशि रूपये 14.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 14,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

राष्ट्रीय कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है। राज्यांश हेतु राशि रुपये 12.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

राष्ट्रीय आयोडिन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम केन्द्र क्षेत्रीय योजना में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोग के लिये राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9 - 12**

अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 42.75 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13 - 15**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 2.65 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16 - 18**

बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 646.80 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,46,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित प्रसूति अवकाश सहायता हेतु राशि रुपये 1.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की व्यवस्था बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	20
मुख्य शीर्ष	2215

**मद क्रमांक 1-2**

महंगाई भत्ते एवं मकान किराया भत्ता में वृद्धि के फलस्वरूप रुपये 530.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य हेतु रुपये 25.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

औजार एवं संयंत्रों के अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 40.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

प्रदेश के जलप्रदाय गृहों के संधारण एवं अनुरक्षण हेतु रुपये 60.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

स्थानीय संस्थाओं की जलप्रदाय योजना के संधारण एवं अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 80.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

नलकूपों (हेण्डपंपों) का अनुरक्षण योजना अंतर्गत कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन हेतु राशि रुपये 1700.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

प्रदेश की मलजल निकासी योजना अंतर्गत कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन हेतु रुपये 100.00 लाख अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

### मद क्रमांक 9

जल निगम में अंशपूंजी निवेश के लिये रुपये 700.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत इयरमार्क जलगुणवत्ता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यांश राशि रुपये 812.39 लाख एवं केन्द्रांश राशि रुपये 812.39 लाख कुल राशि रुपये 1624.78 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

ग्रामीण शालाओं में जल शुद्धिकरण संयंत्र की केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत रुपये 131.67 लाख की राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,31,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 21

मुख्य शीर्ष 2059

### मद क्रमांक 1

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत राजधानी परियोजना मडल की स्थापना व्यय में चिकित्सा अग्रिम हेतु आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 1.50 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया था। जिसका समायोजन करते हुये राशि रुपये 1.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

### मद क्रमांक 2 - 12

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत नगर ग्राम निवेश हेतु वेतन भत्ते, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, दूरभाष व्यय, बिजली एवं जल प्रभार, पेट्रोल तेल तथा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये रुपये 264.27 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,64,27,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत विकास प्राधिकरणों को अनुदान हेतु रुपये 2.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

#### मद क्रमांक 14

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत अरेरा पहाड़ी, भोपाल में निर्माणाधीन शौर्य स्मारक के निर्माण हेतु ( वार मेमोरियल का निर्माण ) रुपये 200.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 15

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत लोक आयुक्त भवन का निर्माण हेतु रुपये 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22

मुख्य शीर्ष 2070

#### मद क्रमांक 1

अग्निशमन केन्द्र पीथमपुर में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1.47 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,47,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

#### मद क्रमांक 2 - 6

नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय के अंतर्गत मकान किराया भत्ता, संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, मजदूरी, अभिभाषकों की फीस एवं सामग्री एवं पूर्ति हेतु राशि रुपये 7.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 7

राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान के गठन हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 8

शहरी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राशि रुपये 6.27 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,27,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 9

झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं विकास हेतु राशि रुपये 40.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 10 - 11

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत वेतन भत्तों के लिये राशि रुपये 6.20 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 12 - 35

मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ( डी.एफ.आई.डी. ग्रांट ) अंतर्गत वेतन, भत्ते, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, कार्यालयीन व्यय, प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन, व्यावसायिक सेवा हेतु अदायगियां, सहायक अनुदान एवं अन्य प्रभार हेतु राशि रुपये 4307.00 लाख का व्यय संभावित है।



अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,07,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23  
मुख्य शीर्ष 2700

### मद क्रमांक 1 - 26

वेतन, भत्ते, महंगाई भत्ते, मकान किराया, ग्रेड पे एवं मजदूरी के भुगतान के लिये आयोजनेतर के अंतर्गत रुपये 479.50 लाख एवं योजना अंतर्गत रुपये 17.00 लाख कुल रुपये 496.50 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,96,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2701

### मद क्रमांक 27-37

वेतन, ग्रेड पे, महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता, मजदूरी आदि के भुगतान के लिये आयोजनेतर मद में रुपये 348.13 लाख एवं योजना मद अंतर्गत रुपये 48.00 लाख कुल रुपये 396.13 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,96,13,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

### मद क्रमांक 38-69

वृहद सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया, चिकित्सा व्यय, ग्रेड पे, अन्य भत्ते, मजदूरी तथा वृहद निर्माण कार्यों के भुगतान के लिये रुपये 35,56,91,300 की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,56,91,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

### मद क्रमांक 70-77

मध्यम सिंचाई की ठिकरिया, कीटखेड़ी, अपर ककेटो परियोजनाओं में निर्माण कार्यों तथा वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया, अन्य भत्ते एवं ग्रेड पे के लिये रुपये 8569.00 लाख की राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 85,69,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4711

### मद क्रमांक 78

बाढ़ नियंत्रण की निम्नांकित नवीन योजनाओं के निर्माण कार्य किये जाने प्रस्तावित है:-

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. होशंगाबाद जिले के हातेड नदी के बायीं तट पर ग्राम ओनारी के पास बाढ़ नियंत्रण का कार्य                   | रुपये 100 |
| 2. विदिशा जिले के महामाई मंदिर के पास घाट एवं तटबंध रक्षण का कार्य  | रुपये 100 |
| 3. ग्राम दीपनखेड़ा विकास खण्ड सिरोंज जिला विदिशा में बिजासेन माता मंदिर सुरक्षा, घाट एवं बैराज का निर्माण | रुपये 100 |
| 4. सीहोर जिले के बुधनी विकास खण्ड में मट्टा घाट का निर्माण  | रुपये 100 |
| 5. सागर तालाब के वेस्ट वियर नाला (मोगा नाला) के बाढ़ नियंत्रण का कार्य                                    | रुपये 100 |
| 6. गनजीत घाट बाढ़ नियंत्रण योजना  | रुपये 100 |
| 7. बेतवा नदी पर निर्मित रामघाट का जीर्णोद्धार   | रुपये 100 |
| 8. नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर जिले में हीरापुर घाट का निर्माण  | रुपये 100 |

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 800 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24  
मुख्य शीर्ष 3054

**मद क्रमांक 1**

राष्ट्रीय राजमार्ग अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु रूपये 50.00 करोड़ के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इस मद में रूपये 20.00 करोड़ की राशि राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रूपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

जिला तथा अन्य सड़कों के सुदृढीकरण योजनांतर्गत रूपये 15,00,00,000/- की अतिरिक्त राशि का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

राजमार्गों/मुख्य जिला मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतिकरण एवं डामरीकरण योजनान्तर्गत रूपये 15000.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

**मद क्रमांक 4**

रतलाम शहर में जावरा फाटक क्रमांक 192 पर रेल्वे अण्डर ब्रिज का निर्माण योजना अंतर्गत रूपये 3,74,33,000 की लागत से निर्माण कार्य किया जाना है, जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

जिला सीहोर के झरखेड़ा पाटन तकिया मार्ग में इतावली नदी पर (ग्राम पाटन के समीप तालाब पर) उच्च स्तरीय पुल का निर्माण लागत रूपये 186.33 लाख, एवं जिला रतलाम में आलोट-नागेश्वर-उन्हेल मार्ग के कि.मी. 5/2 पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण लागत रूपये 855.00 लाख की लागत से कराया जाना है। व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

केन्द्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत प्रगतिरत कार्यों हेतु रूपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजना हेतु रूपये 25,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन योजना अंतर्गत निम्नानुसार नवीन कार्य किये जाने प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र. जिले का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (रुपये लाख में)	अनुदान राशि (रुपये में)
------------------	--------------	--------------------	-------------------------	----------------------------

1. इंदौर	सांवेर चंद्रावतीगंज से गौतमपुरा मार्ग पर 4.20 कि.मी. का पुनर्निमाण	4.20	67.33	100
2. बुरहानपुर	गोलखेड़ा अमुल्ला मार्ग पर 4.60 कि.मी. का पुनर्निमाण	4.60	161.66	100
3. अशोकनगर	अशोकनगर विदिशा मार्ग पर 4.00	4.00	250.36	100

कि.मी. का पुनर्निर्माण				
4. अशोकनगर	शाडोरा नईसराय म्याना मार्ग पर 4.00	4.00	177.43	100
	कि.मी. का पुनर्निर्माण			

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) अंतर्गत जिला भोपाल में हॉट मिक्स प्लाट की स्थापना लागत रुपये 5.94 करोड़ से की जाना है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबाई) योजना अंतर्गत निम्नानुसार 41 नवीन कार्यों का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र. जिले का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (रुपये लाख में)	अनुदान राशि (रुपये में)
1. उज्जैन	घोसला से रुपाखेड़ी मार्ग	7.00	980.21	100
2. नरसिंहपुर	पलोहा से काटजू नगर	3.00	189.31	100
3. गुना	गुना अशोकनगर से करोंद माहूर मार्ग	7.20	108.38	100
4. गुना	तेलीगांव सुठालिया मार्ग	3.80	102.25	100
5. ग्वालियर	घाटीगांव बसोता मार्ग	11.00	446.49	100
6. ग्वालियर	डबरा भितरवार मार्ग	11.00	558.68	100
7. ग्वालियर	भितरवार करेरा मार्ग	10.60	466.05	100
8. ग्वालियर	मुरार चितोरा मार्ग	10.00	567.80	100
9. ग्वालियर	घाटीगांव आरोन मार्ग	10.00	405.90	100
10. ग्वालियर	सुसेरा पहुंच मार्ग	8.20	348.09	100
11. अशोकनगर	पारसोल सिरनी इंदार कदवाया मार्ग	8.40	369.08	100
12. अशोकनगर	शाडोरा वाजिदपुरा मार्ग	7.00	342.46	100
13. छतरपुर	बड़ोदिया-धमोनी मार्ग	7.00	148.50	100
14. छतरपुर	बड़गांव-देवधा	5.00	177.89	100
15. शिवपुरी	रत्रोद पचावली मार्ग	4.00	111.87	100
16. भिण्ड	घाटा अमायन मार्ग	15.00	152.21	100
17. भिण्ड	उमरी से सगारा मार्ग	11.20	461.10	100
18. मुरैना	मुरैना बायपास मार्ग	6.48	324.32	100
19. श्योपुर	श्योपुर खतोली मार्ग	8.80	121.81	100
20. सागर	किशनपुरा मुगरयाड मार्ग	8.00	255.86	100
21. सागर	महाराजपुर झमारा मार्ग	4.00	209.39	100
22. सागर	केन पटकुई मार्ग	3.80	212.00	100
23. सागर	देवथा पहुंच मार्ग	5.00	184.59	100
24. दमोह	सिमरी जालमसिंह चण्डी चौपारा मार्ग	2.80	130.12	100
25. दमोह	पटेरा स्नेह मार्ग	8.00	348.37	100
26. छतरपुर	बक्सवाहा नैनागिरी मार्ग	16.00	674.12	100
27. छतरपुर	हटवारा सटई मार्ग कि.मी. 1 से 13 एवं 16-2 तक	13.20	706.97	100

28. छतरपुर	साखा पटना मार्ग के कि.मी. 7-2 से 13-6	6.60	260.29	100
29. छतरपुर	नाउ पहारिया गलान लहदरा मार्ग	5.10	174.71	100
30. दमोह	साखा-पटना मार्ग 7/2 से 13/6	6.60	258.71	100
31. बुरहानपुर	वारोली अंतुली मार्ग	3.30	129.53	100
32. रीवा	रोहागी-त्योधर पनवार डबोरा	2.40	406.52	100
33. इंदौर	बिसनखेड़ी पानोड़ मार्ग	4.00	111.88	100
34. छिंदवाड़ा	बीसापुर सलैया मार्ग	5.20	124.95	100
35. विदिशा	बड़ोह पठारी मार्ग	3.00	135.32	100
36. विदिशा	उदयपुर से बामोरा मार्ग	3.00	199.40	100
37. विदिशा	भौरासा से मल्हारगझड़ मार्ग	8.40	423.95	100
38. होशंगाबाद	सोहागपुर सेवा बनखेड़ी मार्ग	4.70	179.10	100
39. छिंदवाड़ा	कुसमेली कबाड़िया मार्ग	5.00	455.00	100
40. सीहोर	इछावर से रामनगर	10.60	368.14	100
41. खण्डवा	जावद-मूंदी मार्ग	4.93	370.00	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 4100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से निम्नांकित नवीन सड़कों के निर्माण कार्यों हेतु प्रतीक तथा प्रगतिरत कार्यों हेतु रूपये 25,00,00,300 की अतिरिक्त आवश्यकता है। नवीन कार्यों के व्यय की व्यवस्था उपलब्ध बजट से की जावेगी।

क्र.	जिले का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (रूपये लाख में)	अनुदान राशि (लाख में)
1.	दतिया	राज्यमार्ग क्रं.19 पर दतिया बायपास मार्ग	7.82	1349.37	650.00
2.	दतिया	राज्यमार्ग क्रं.19 पर सेवढ़ा बायपास मार्ग	2.60	571.78	300.00
3.	सतना	नागौद जसो सलेहा पवई मोहिन्द्रा सिमरिया (राज्यमार्ग-52) के ग्राम सलेहा से सेल्हा के कि.मी. 23/2 से 29/8	6.52	843.05	450.00
4.	उज्जैन	नागदा-धार-घुजारी मार्ग के धार शहरी भाग में सीमेट कांक्रीट फोरलेन मार्ग का निर्माण	0.00	989.55	500.00
5.	इंदौर	इंदौर-उज्जैन फोरलेन मार्ग महामृत्युंजय द्वार से त्रिवेण सेतु तक मार्ग के दोनो ओर सर्विस रोड़ का निर्माण	0.00	498.67	250.00
6.	रीवा	रीवा लिंक रोड़ के रीवा नगरीय क्षेत्र में पेव्हड शोलडर का निर्माण	0.00	105.88	50.00
7.	रीवा	रीवा-बीड़ा-सोमरिया मार्ग के रीवा नगरीय क्षेत्र का फोरलेन निर्माण	0.00	101.11	50.00
8.	उज्जैन	आगर-बढ़ोद-आलोट मार्ग पर आलोट-बायपास मार्ग का निर्माण	0.00	584.16	250.00

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25  
मुख्य शीर्ष 2853

### मद क्रमांक 1

मजदूरी दर में वृद्धि एवं लंबित भुगतानों को मिलाकर दो तैमासों हेतु अतिरिक्त आवश्यक राशि रुपये 13.00 लाख व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना सड़क विकास अधिनियम, 2005 के लिये निधि में अंतरण हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 178.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,78,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26  
मुख्य शीर्ष 2202

### मद क्रमांक 1 - 3

संस्कृति संचालनालय अंतर्गत ललित कला संस्थान के अंतर्गत मकान किराया, दूरभाष हेतु रुपये 4.75 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4 - 7

संस्कृति संचालनालय अंतर्गत संगीत महाविद्यालय के लिये मकान किराया, दूरभाष, बिजली, जल प्रभार हेतु रुपये 13.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2205

### मद क्रमांक 8

संस्कृति संचालनालय में म.प्र. स्थापना दिवस हेतु आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 300.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया था, जिसका समायोजन करते हुये कुल राशि रुपये 500.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9 - 11

संस्कृति संचालनालय के अंतर्गत मकान किराया, चिकित्सा भत्ते एवं दूरभाष हेतु राशि रुपये 12.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

संस्कृति संचालनालय के अंतर्गत शंकराचार्य संस्कृति भवन विकास हेतु रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

संस्कृति संचालनालय अंतर्गत तीर्थ मेला प्राधिकरण हेतु रुपये 100.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14

संस्कृति संचालनालय के अंतर्गत नवीन सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय हेतु आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 200.00 लाख का

अग्रिम स्वीकृत किया गया था जिसका समायोजन करते हुये राशि रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 15

संस्कृति संचालनालय के अन्तर्गत दुर्गायन हॉल के निर्माण हेतु 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 16 - 20

पुरातत्व संग्रहालय फोटो ग्राफिक सेल के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रुपये 1.54 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,54,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 21 - 23

पुरातत्व संग्रहालय माडलिंग खण्ड में कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रुपये 97,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 97,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 24

पुरातत्व एवं अभिलेखागार में संग्रहालय उन्नयन, उज्जैन में नवीन संग्रहालय हेतु रुपये 10.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27  
मुख्य शीर्ष 2202

#### मद क्रमांक 1 - 2

राज्य शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना -शिक्षक शिक्षा- हेतु 75-25 के अनुपात में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला संसाधन केन्द्र के लिये उपकरणों का क्रय हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 302.41 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,02,41,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 3

अशासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक शिक्षण संस्थानों को माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका में दिये गये निर्देशानुसार पांचवें वेतनमान के लाभ की शेष 50 प्रतिशत राशि के भुगतान के लिये रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4

अशासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक शिक्षण संस्थानों को माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका में दिये गये निर्देशानुसार पांचवें वेतनमान का लाभ की शेष 50 प्रतिशत राशि के भुगतान के लिये रुपये 13.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 5 - 7

राज्य शिक्षा केन्द्र हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत (75 एवं 25 प्रतिशत के अनुपात में) उपकरणों के क्रय/प्रशिक्षण/अन्य प्रभार हेतु केन्द्रांश की राशि रुपये 53.10 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 53,10,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

अशासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक शिक्षण संस्थानों को माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका में दिये गये निर्देशानुसार पांचवें वेतनमान का लाभ की शेष 50 प्रतिशत राशि के भुगतान के लिये रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9 - 10

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना (75 एवं 25 प्रतिशत के अनुपात में) सरकारी शिक्षा महाविद्यालय के लिये उपकरणों का क्रय एवं अन्य प्रभार हेतु केन्द्रांश की 75 प्रतिशत राशि रूपये 103.90 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,03,90,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 11

शिक्षक शिक्षा केन्द्र प्रवर्तित योजना (75 एवं 25 प्रतिशत के अनुपात में) अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला संसाधन केन्द्र के भवनों में अतिरिक्त निर्माण /छात्रावास निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 897.24 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 8,97,24,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के भवन में केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75-25 भवन में अतिरिक्त निर्माण /छात्रावास /गेस्ट हाउस आदि के निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में राशि रूपये 102.85 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,02,85,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना -शिक्षक शिक्षा- में 75-25 के अनुपात में सरकारी शिक्षा महाविद्यालय के भवनों में अतिरिक्त निर्माण/छात्रावास निर्माण के लिये केन्द्रांश की राशि रूपये 230.49 लाख का प्रावधान कराया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,30,49,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14

राज्य शिक्षा केन्द्र एवं उसके अंतर्गत आने वाली अधीनस्थ संस्थाओं के भवनों में अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75-25 के अनुपात में राज्यांश की राशि रूपये 210.19 लाख एवं भारत सरकार से स्वीकृति की प्रत्याशा में केन्द्रांश राशि रूपये 630.57 लाख का प्रावधान किया जाना है। उक्त राज्यांश की राशि विभागीय बजट अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2202 योजना 8810 में उपलब्ध राशि से समर्पित कर उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 8,40,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29

मुख्य शीर्ष 2014

### मद क्रमांक 1 - 7

उच्च न्यायालय की न्याय प्रशासन योजना के अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, डिक्लीथन का भुगतान अंतर्गत वर्ष के दौरान रूपये 126.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,26,00,000/- का अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

उच्च न्यायालय के अंतर्गत निर्वाह पत्र तामीली स्थापना के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अंतर्गत वर्ष के दौरान 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,000/- का अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9 - 10

उच्च न्यायालय की सामान्य स्थापना के अंतर्गत वर्ष के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विद्युत एवं जल प्रभार मद मे 70.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 70,00,000/- का अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11 - 13

उच्च न्यायालय के अंतर्गत ग्राम न्यायालय योजना हेतु वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय मद में वर्ष 2012-13 के दौरान 24.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 24,00,000/- का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14 - 21

उच्च न्यायालय के केन्द्रीय जांच ब्यूरो हेतु गठित विशेष न्यायालय के अंतर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, वाहन का क्रय, वाहन अनुरक्षण मद के अंतर्गत रूपये 21,07,000/- का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 21,07,000/- का अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 22

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्तमान में प्रचलित - ई-कोर्ट्स- परियोजना का प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने हेतु अन्य प्रभार में राशि 1,00,00,000/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 23 - 24

महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर इन्दौर एवं ग्वालियर अंतर्गत कार्यालय व्यय एवं व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां मद के अंतर्गत स्वीकृत बजट के विरुद्ध रूपये 14,00,000/- के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

### मद क्रमांक 25 - 29

न्याय प्रशासन और निर्वाचन के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान मजदूरी, यात्रा भत्ता, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण क्रय, नये वाहन का क्रय अंतर्गत रूपये 2,56,00,100 का प्रावधान किया जाना है।



अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,56,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 30 - 33

न्याय प्रशासन और निर्वाचन अंतर्गत निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु मुद्रण एवं प्रकाशन, विशेष सेवाओं के लिये मानदेय, विज्ञापन एवं प्रचार तथा अन्य प्रभार के अंतर्गत राशि रुपये 2890.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 34

न्याय प्रशासन और निर्वाचन के अंतर्गत डिक्लीथन मद के अंतर्गत रुपये 17.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 35

राज्य निर्वाचन मंडल का निर्वाचन कार्य कराये जाने हेतु मुद्रण एवं प्रकाशन के लिये राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

### मद क्रमांक 36 - 40

विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत वेतन, मजदूरी, स्टेशनरी, किराया एवं महसूल एवं अवकाश यात्रा सुविधा हेतु वर्ष के दौरान 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000/- का अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 41

न्यायिक सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में वर्ष के दौरान 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000/- का अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 31

मुख्य शीर्ष 3454

### मद क्रमांक 1 - 4

विंध्य विकास प्राधिकरण का सेटअप तैयार करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता राशि निम्नानुसार है:-

12 रुपये 4.00 लाख

22-003 रुपये 4.00 लाख

22-010 रुपये 1.50 लाख

26 रुपये 4.00 लाख

कुल रुपये 13,50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु कुल रुपये 13,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय हेतु अतिरिक्त आवश्यकता राशि निम्नानुसार है:-

12-मजदूरी रूपये 2.00 लाख  
कुल 2.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु कुल रूपये 2,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6 - 12**

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत छठवीं आर्थिक गणना हेतु अतिरिक्त आवश्यकता राशि निम्नानुसार है:-

21-001 रूपये 489.22 लाख  
22-002 रूपये 4.00 लाख  
22-008 रूपये 44.81 लाख  
26-026 रूपये 26.30 लाख  
31-004 रूपये 3216.63 लाख  
31-007 रूपये 26.00 लाख  
35-35 रूपये 11.00 लाख  
कुल 3817.96 लाख व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु कुल रूपये 38,17,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32  
मुख्य शीर्ष 2015

**मद क्रमांक 1**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रूपये 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2029

**मद क्रमांक 2**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रूपये 60.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2039

**मद क्रमांक 3**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2040

**मद क्रमांक 4**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रूपये 2.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 5**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रूपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।



मुख्य शीर्ष 2220

**मद क्रमांक 14 - 18**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत वेतन, अन्य भत्ते, ग्रेड पे, परिवहन व्यवस्था एवं विज्ञापन एवं प्रचार मद हेतु राशि रुपये 1107.00 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,07,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, इंदौर तथा अन्य विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 1500.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 20**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 2.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 21**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 15.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 22**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 2.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 23**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 4.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

**मद क्रमांक 24**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 2.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

**मद क्रमांक 25**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

**मद क्रमांक 26**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2701

**मद क्रमांक 27**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 100.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

**मद क्रमांक 28**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 2.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

**मद क्रमांक 29**

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में वर्ष के दौरान राशि रुपये 100.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 1**

कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता की योजना हेतु राशि रुपये 5.35 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत दीन दयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता हेतु राशि रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

सामाजिक न्याय के अंतर्गत श्रमिक संवर्ग की योजनाओं को समयांकित करने के फलस्वरूप नवीन अत्येष्टि सहायता योजना प्रारंभ किये जाने हेतु रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- का प्रतीक प्रावधान की अनुपूरक अनुमान में आवश्यकता है।

मांग संख्या 35

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 1**

कार्यालय फर्नीचर का क्रय के अंतर्गत रुपये 20,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 36  
मुख्य शीर्ष 2041

**मद क्रमांक 1 - 6**

परिवहन विभाग में योजना-0679 उड़नदस्ता एवं चैकपोस्ट की स्थापना के अंतर्गत नवीन मद के रूप में परीक्षा एवं परीक्षण तथा वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ते, ग्रेड पे आदि के लिये रुपये 260.90 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,60,90,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

परिवहन विभाग में योजना-3561 मुख्यालय स्थापना में अंतर्गत परामर्श सेवाये के लिये रुपये 5.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8 - 10**

परिवहन विभाग में योजना- 4280 संग्रह प्रभार के अंतर्गत, पांच नवीन जिला कार्यालय स्थापना हेतु ग्रेड-पे, परीक्षा एवं प्रशिक्षण एवं वाहन क्रय आदि के लिये रुपये 36.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

परिवहन विभाग में योजना-8808 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य में परिवहन उपकरणों के क्रय के लिये रुपये 27.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 37  
मुख्य शीर्ष 3452

**मद क्रमांक 1**

पर्यटन विभाग अंतर्गत म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम को मनोरंजन मेला ( भोपाल झील) उत्सव के लिये राशि रुपये 60.00 लाख व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

पर्यटन विभाग के अंतर्गत म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम अण्डर राईट की गई सीटों के लिये राशि रुपये 2.00 करोड़ व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 38  
मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 1**

5वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो-2012 के आयोजन हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है। इस राशि में रुपये 50.00 लाख आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम शामिल है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

आयुष संचालनालय हेतु नवीन वाहन क्रय के लिये राशि रुपये 6.00 लाख की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

आयुर्वेद महाविद्यालय हेतु फर्नीचर क्रय के भुगतान हेतु राशि रुपये 30.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	39
मुख्य शीर्ष	2408

**मद क्रमांक 1**

गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना हेतु राशि रुपये 59.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 59,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न उपार्जन के प्रयोजन के लिये राशि रुपये 188.10 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,88,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत पुरस्कार योजना अंतर्गत रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

म.प्र. राज्य आपूर्ति निगम को राज्य शासन की बचनवद्धता पर बैंक से लिये गये ऋण तथा कार्यशील ऋण पर ब्याज राशि के प्रदाय हेतु राशि रुपये 55.68 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,68,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

खाद्यान्न उपार्जन की कम्प्यूटराईजेशन परियोजना हेतु राशि रुपये 6.65 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत खाद्यान्न परिवहन में नियंत्रण हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग परियोजना हेतु राशि रुपये 116.999 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,16,99,952 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

आयोडीनयुक्त नमक वितरण अनुदान योजना हेतु राशि रुपये 8.40 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन के अंतर्गत नवीन मद खोलकर रुपये 312.98

लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,12,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

लोक लेखा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत समस्त जिलों को डिजिटल हस्ताक्षर हेतु राशि रुपये 2.25 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

नव नियुक्त सहायक संचालक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

### मद क्रमांक 11

केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति हेतु संभागीय कार्यालय की प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 33.14 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 40

मुख्य शीर्ष 2705

### मद क्रमांक 1-10

तवा आयाकट क्षेत्र विकास, बरगी आयाकट एवं राज्य स्तर पर आयाकट सेल तथा बैन गंगा बावनथड़ी एवं बांध कमान विकास प्राधिकरण योजना अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया, अन्य भत्ते, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सुविधा, ग्रेड पे एवं यात्रा भत्ते दौरे आदि पर रुपये 11.75 लाख की राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2203

### मद क्रमांक 1

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित पोलिटेकनिक महाविद्यालय के उन्नयन हेतु रुपये 102.90 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है, जो संस्थाओं द्वारा नवीन उपकरण के क्रय में व्यय किया जावेगा। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोग में राशि रुपये 102.90 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,02,90,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

### मद क्रमांक 2

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना अंतर्गत भारत शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार राज्य शासन को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 8915.28 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 89,15,28,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

राष्ट्रीय कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत भारत शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार राज्य शासन को 15 प्रतिशत राशि राज्यांश के



रुप में उपलब्ध करायी जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4

राष्ट्रीय वृद्धजन हेल्थ केयर कार्यक्रम योजना अंतर्गत भारत शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार राज्य शासन को 15 प्रतिशत राशि राज्यांश के रुप में उपलब्ध करायी जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 5

नर्सिंग सर्विसेज का सुदृढीकरण एवं उन्नयन योजना अंतर्गत भारत शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार राज्य शासन को 15 प्रतिशत राशि राज्यांश के रुप में उपलब्ध करायी जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 6

राष्ट्रीय आयोडिन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत भारत शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार 100 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 8.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 7 - 9

आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित जिला चिकित्सालयों में पदस्थ अमले के वेतन, भत्तों के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 146.72 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,46,72,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 10 - 11

चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र - छात्राओं के लिये कम्प्यूटर सेंटर की स्थापना, खेल एवं जिम्नेजियम के लिये आधुनिक उपकरण, ई-पुस्तकालय तथा आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिये संपूर्ण विषय का एक सेट, लेपटाप तथा विशेष कोचिंग क्लास पर रुपये 206.34 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 206.34 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,06,34,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

#### मद क्रमांक 12

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में प्रोत्साहन के लिये कक्षा 12 वी में उत्तीर्ण कर स्नातक विज्ञान (फिजिक्स, केमेस्ट्री, मेथ्स, बाटनी एवं जूलाजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रथम वर्ष रुपये 3000/- छात्रवृत्ति के अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 291.30 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,91,30,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 13

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनांतर्गत पूर्व निर्धारित आय सीमा रुपये 1.45 लाख से बढ़ाकर रुपये 2.00 लाख वार्षिक की गई है एवं छात्रवृत्ति की दरों में परिवर्तन किया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त भारत सरकार से रुपये 3880.00 लाख प्राप्त होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,80,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वर्ष 2012-13 के लिये निर्धारित राशि एवं गत वर्ष की अव्ययित राशि को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा पाकेट, कलस्टर में विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा 50 जिलों में कौशल विकास कार्यक्रम पर व्यय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 4653.97 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,53,97,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में पदस्थ अमले के चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 1.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण के तहत सहरिया, बैगा तथा भारिया जनजाति हेतु एकलव्य आर्दश विद्यालय जबलपुर, गुना तथा इन्दौर में संचालित है, जिनके आवर्ती व्यय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 1.72 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,72,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17**

भारत सरकार द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए संरक्षण सह-विकास योजना अंतर्गत निर्गमित की गई राशि एवं गत वर्ष की अव्ययित राशि हेतु वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 2116.89 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,16,89,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 18**

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को रुपये 10,000/- की सहायता प्रदान की जाती है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 59 वर्ष आयु के निःशक्त हितग्राहियों को रुपये 200/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्रों की नगर निगम क्षेत्रों के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 42.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 20**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 59 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं को रुपये 200/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्रों की नगर निगम क्षेत्रों के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 56.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 56,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 21**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 से 79 वर्ष आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रुपये 200/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रुपये 500/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्रों की नगर निगम क्षेत्रों के



मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 29 - 30**

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कृषकों को उन्नत बीज व्यवस्था हेतु भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत प्राप्त राशि के उपयोग हेतु प्रावधान किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 56.31 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 56,31,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 31 - 34**

नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना में पदस्थ अमले एवं कार्यभारित / आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 73.76 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 73,76,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 35**

पशुपालन विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 822.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,22,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

**मद क्रमांक 36 - 37**

मछली पालन विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 51.56 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 51,56,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

**मद क्रमांक 38**

सेटेलार्इट इमेजरी क्रय किये जाने हेतु रुपये 330.00 का व्यय संभावित है, जो अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगी। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में राशि रुपये 330.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,30,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 39**

भारत सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा लघु वनोपज के विभिन्न कार्यों के लिये रुपये 2305.00 लाख की राशि प्राप्त होने की संभावना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 2305.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,05,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

**मद क्रमांक 40**

प्रदेश के आदिवासी विकास खण्डों में बी.पी.एल. परिवार को रियाती दर रुपये 1.00 प्रति किलोग्राम की दर से आयोडीनयुक्त रिफाइंड (फ्री प्लो) आई.ओ.स.आई. मार्क नमक का वितरण कराया जा रहा है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 864.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,64,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

**मद क्रमांक 41**

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन पर रुपये 540.00 लाख का व्यय होना संभावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 540.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,40,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

**मद क्रमांक 42**

आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से खंडवा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाना प्रस्तावित है, जिसके भवन निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

**मद क्रमांक 43**

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत मध्यप्रदेश राज्य को इयरमार्क जलगुणवत्ता कार्यक्रम हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में राज्यांश के रूप में राशि रुपये 349.86 लाख एवं केन्द्रांश के रूप में राशि रुपये 349.86 लाख कुल राशि रुपये 699.72 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,99,72,000/- अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 44**

भारत सरकार द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत भू-जल संवर्धन कार्यक्रम योजना हेतु राशि प्राप्त होने की संभावना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में राशि रुपये 1108.22 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,08,22,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

**मद क्रमांक 45**

अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्ती में विभिन्न विकास कार्य कराये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 523.23 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,23,23,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

**मद क्रमांक 46**

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण कार्य कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1300.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

**मद क्रमांक 47**

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

(रु. लाख में)

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कार्य का नाम	लागत
1.	पन्ना	अजयगढ़	रानीपुर तालाब	734.81
2.	टीकमगढ़	पटेरा	पछोरा घाट वियर	198.11
3.	टीकमगढ़	पटेरा	अपराघाट वियर	140.14
4.	शहडोल	बुहार	पडकुरी तालाब	217.43
5.	शहडोल	बुहार	मलमाछर तालाब	233.61
6.	मंडला	मावर	पिपरी तालाब	261.06

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 48

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित लघु सिंचाई योजनाओं के सुधार, सुदृढीकरण, पुर्नस्थापना (आर.आर.आर.) के तहत निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

(रु. लाख में)

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कार्य का नाम	लागत
1.	मंडला	बिछिया	विछिया तालाब	557.72
2.	सीधी	मझोली	शेर तालाब	220.33
3.	खरगौन	भिकनपुर	वेदा पिकअप वियर	139.68
4.	सिवनी	धनौरा	बरेली तालाब	106.45
5.	सिवनी	छपारा	बिजना तालाब	380.77
6.	बैतूल	घोडाडोगरी	शोभापुर तालाब	155.98
7.	बैतूल	बैतूल	कुसमी तालाब	113.11
8.	बैतूल	घोडाडोगरी	रानीपुर तालाब	113.01

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 49

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ए.आई.बी.पी. योजना अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	योजना का नाम	जिला	विकास खंड	लागत (रु. लाखों में)
1.	कुदरई तालाब	बालाघाट	बिरसा	772.45
2.	शाहपुर तालाब	शहडोल	बिरहट	636.20
3.	कावेली तालाब	बालाघाट	परसवाड़ा	1160.30
4.	पचामा तालाब	बालाघाट	बैहर	1058.02

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में स्वीकृत सिंचाई योजनाओं तथा नवीन सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्यों हेतु इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 6000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 50**

कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था हेतु विद्युत वितरण कंपनी को धनवेष्टन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 2730.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,30,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 51**

पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिये धनवेष्टन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 5000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 52**

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में धनवेष्टन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 7500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 53**

सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई हेतु धनवेष्टन योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में वित्तीय वर्ष में रुपये 3548.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,48,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 54**

मालवा ताप विद्युत परियोजना हेतु धनवेष्टन योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में वित्तीय वर्ष में रुपये 5359.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 53,59,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42

मुख्य शीर्ष 5054

**मद क्रमांक 1**

आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित मार्गों का निर्माण / उन्नयन कार्य कराया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)
1. धार	डही कवड़ा मार्ग	4.60	448.64
2. धार	टाण्डा जीराबाद मार्ग	14.80	311.84
3. धार	मनावर डेहरी मार्ग	10.70	224.14
4. खरगोन	कतरगांव करही बलवाड़ा मार्ग	2.80	345.66
4. अलीराजपुर	भाभरा उदयगढ़ मार्ग कि.मी. 12/2 व 19-25	7.20	128.30

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत निम्नांकित मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत
1.	बडवानी	हिंगवा वरला मार्ग	4.93	211.91
2.	अनूपपुर	अनूपपुर में पोड़की कंगरा मार्ग का उन्नतीकरण	3.00	221.84

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 43  
मुख्य शीर्ष 2204

### मद क्रमांक 1

50 जिला कार्यालयों में दूरभाष व्यवस्था एवं ब्राडबैंड कनेक्शन के लिये राशि रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 3

म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा सीधी भर्ती के बैंकलांग पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा शुल्क के भुगतान एवं प्रशिक्षण हेतु राशि रुपये 6.00 लाख एवं रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अन्य प्रभार मद में रुपये 55.35 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

संभाग स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिये तथा प्रदेश के दल को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु राशि रुपये 25.20 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

संभाग स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिताओं एवं प्रदेश के दल को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु राशि रुपये 16.80 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कौशल विकास हेतु रुपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है। राशि की व्यवस्था बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त खेल संघों की बैठक में हुये निर्णय अनुसार प्रत्येक खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु नवीन योजना अंतर्गत राशि रुपये 322.03 लाख का व्यय संभावित है।



अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,22,03,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

भोपाल में झील महोत्सव, 2013 के आयोजन में विभिन्न खेल गतिविधियों पर राशि रुपये 82.97 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 82,97,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

खेल अकादमियों के खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

लंदन ओलंपिक, 2012 में देश के पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कार देने हेतु राशि रुपये 400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	44
मुख्य शीर्ष	2202

### मद क्रमांक 1

अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 50,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय यात्रा भत्ता मद अंतर्गत राशि रुपये 2.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक हेतु राशि रुपये 15.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

नवीन शासकीय महाविद्यालयों में फर्नीचर हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

शासकीय कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय अंतर्गत ( भारित ) न्यायालयीन प्रकरणों के भुगतान हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

स्वामी विवेकानंद केरियर मार्गदर्शन योजना के श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने के कारण कौशल विकास के अंतर्गत रोजगार मूलकता अंतर्गत विद्यार्थियों को

प्रशिक्षण देने हेतु राशि रुपये 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 7

नवीन संकाय खोलने हेतु पोषण अनुदान मद में रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 8

स्वशासी महाविद्यालय को पोषण अनुदान हेतु रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 9

नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ को पोषण अनुदान हेतु रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 10

अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारियों को पांचवे वेतनमान के एरियर का भुगतान हेतु राशि रुपये 750.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 11

योग प्रसार समिति को अनुदान योजना अंतर्गत राशि रुपये 6.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45  
मुख्य शीर्ष 2702

#### मद क्रमांक 1 - 3

लघु सिंचाई योजना अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ते एवं मकान किराया भत्ता अंतर्गत रुपये 285.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,85,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

#### मद क्रमांक 4

लघु एवं लघुतम सिंचाई की निम्नांकित योजनाओं का निर्माण कार्य रुपये 15424.80 लाख की लागत से किया जाना है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी एवं लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाओं के प्रगतिरत निर्माण कार्यों में रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

क्र.	जिला	योजना का नाम	लागत (राशि लाख में)	सिंचाई क्षमता हेक्टेयर	अनुपूरक अनुदान की राशि
1.	बुरहानपुर	बुरहानपुर बैराज	581.36	975	100
2.	रीवा	पपौरा वियर	359.81	378	100
3.	सोहोर	आमदा कदीम भदभदा बैराज	113.79	124	100
4.	सीहोर	जोलापुर लघु प्रोजेक्ट	364.41	162	100
5.	शाजापुर	खेड़ा रायपुर बैराज	250.00	305	100

6. टीकमगढ़	बहादुर गढ़ तालाब	1936.72	982	100
7. छिंदवाड़ा	सत्तीधर तालाब	1538.15	770	100
8. सागर	बिलहारी तालाब	1150.23	517	100
9. सागर	हिलगन तालाब	3645.85	1674	100
10. उमरियाबसाड	डायवर्शन	1127.81	700	100
11. पन्ना	सिरसवाहा तालाब	3224.81	1719	100
12. सागर	टोडा तालाब	1131.86	577	100

योग 15424.80 1200

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

सुधार, सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापन सुदृढीकरण योजनान्तर्गत निम्नानुसार 26 नवीन निर्माण कार्य किये जाने प्रस्तावित है। व्यय की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जायेगी।

क्र.	जिला	योजना का नाम	लागत (लाख में)	रुपांकित	अनुदान की राशि
------	------	--------------	-------------------	----------	----------------

1. गुना	सुमेरी तालाब	210.05	1031	100
2. गुना	राजीवसागर तालाब	616.54	2000	100
3. खरगौन	सातक तालाब	922.43	2298	100
4. सागर	लोवर चांदिया तालाब	691.48	1995	100
5. सीहोर	अरोलिया एल.आई.एस.	106.99	218	100
6. टीकमगढ़	मदनसागर आहर तालाब	341.12	985	100
7. टीकमगढ़	ठेरका तालाब	443.65	983	100
8. टीकमगढ़	पलेरा तालाब	199.42	340	100
9. गुना	कलोरा तालाब	138.89	680	100
10. गुना	बिलकाखेड़ी तालाब	170.34	578	100
11. कटनी	लोवर सकरवारा तालाब	463.94	729	100
12. कटनी	सर्रा तालाब	154.70	499	100
13. शाजापुर	लक्ष्मीखेड़ा तालाब	163.51	727	100
14. शाजापुर	बीजनाखेड़ी तालाब	379.51	785	100
15. शाजापुर	गणेशपुरा तालाब	577.30	1903	100
16. टीकमगढ़	धरमसागर तालाब	493.01	1737	100
17. छतरपुर	बुरहा तालाब	366.93	1866	100
18. छतरपुर	गोरा तालाब फीडर नहर सहित	584.68	1982	100
19. खरगौन	संघवी तालाब	231.50	662	100
20. बैतूल	छोटी अमरोती तालाब	111.83	497	100
21. बैतूल	ससुन्दरा तालाब	175.41	207	100
22. बैतूल	सोनखेड़ी तालाब	188.14	827	100
23. खरगौन	डेहरी न.2 तालाब	249.97	895	100
24. शहडोल	मउ तालाब	118.38	416	100
25. सीधी	बेलहा तालाब	286.79	420	100
26. सीधी	करमाई तालाब	104.41	175	100

योग 8490.92 25435 2600

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2600/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

ए.आई.बी.पी. योजना अंतर्गत निम्नानुसार नवीन सिंचाई योजनायें रुपये 25751.07 लाख की लागत से निर्मित की जानी प्रस्तावित है। आवश्यक राशि स्वीकृत बजट की बचत से उपलब्ध होगी।

क्र.	जिला	योजना का नाम	लागत (राशि लाख में)	सिंचाई क्षमता हेक्टेयर	अनुपूरक अनुदान की राशि
1.	पन्ना	बिलहा तालाब	632.97	428	100
2.	पन्ना	इमलिया तालाब	615.41	369	100
3.	पन्ना	पावसी तालाब	589.72	392	100
4.	दमोह	चिरसी हिनौती वियर	209.42	158	100
5.	दमोह	कनियाघाट पटनी	278.67	400	100
6.	दमोह	इमलिया रावत वियर	401.10	279	100
7.	गुना	श्यामपुर बैराज	219.85	300	100
8.	बैतूल	छिन्दवार तालाब	574.56	295	100
9.	दमोह	हरदुआ खुर्द तालाब	301.75	195	100
10.	बैतूल	अपर जौरा तालाब	566.28	310	100
11.	छिंदवाड़ा	बुचनाई तालाब	602.72	358	100
12.	अनुपपुर	बनेहेरी तालाब	561.95	297	100
13.	छिंदवाड़ा	जतलापुर तालाब	232.45	104	100
14.	देवास	मुहाई बैराज	102.30	101	100
15.	देवास	बड़घाट बैराज	150.02	135	100
16.	गुना	बन्सखेड़ी स्टापडेम	174.44	230	100
17.	गुना	पिपरोदा खुर्द स्टापडेम	140.57	170	100
18.	शहडोल	घनगेरा तालाब	461.25	266	100
19.	शहडोल	सारंगपुर तालाब	359.04	202	100
20.	शहडोल	अमाझीरी तालाब	245.14	128	100
21.	गुना	करके की मउ तालाब	2518.81	1150	100
22.	पन्ना	सिमरी तालाब	1524.61	889	100
23.	पन्ना	श्यामरदन्दा तालाब	1021.73	635	100
24.	पन्ना	खमरिया तालाब	1460.46	851	100
25.	पन्ना	उमहीनाला तालाब	2268.41	1454	100
26.	पन्ना	पटना तालाब	1647.54	937	100
27.	पन्ना	देवरी तालाब	2990.00	1735	100
28.	पन्ना	हाथकुरी तालाब	1209.55	698	100
29.	बैतूल	बादलडोह तालाब	3690.35	2260	100
योग			25751.07		2900

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2900 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

लघु सिंचाई योजना अंतर्गत डिक्रीधन के भुगतान हेतु रुपये 2.00 करोड़ के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या	47
मुख्य शीर्ष	2203

### मद क्रमांक 1 - 2

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत नौगांव जिला, छतरपुर में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु आकस्मिकता निधि से राशि रुपये 113.19 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 113.19 लाख की आवश्यकता है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 1,13,19,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3 - 5

राज्य में स्थित पोलीटेकनिक महाविद्यालयों बुरहानपुर, हरदा, खुरई, उज्जैन, जावद, शहडोल, सीहोर, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, मंडला, दमोह, इंदौर, सागर, महिला पोलीटेकनिक भोपाल, खण्डवा, बैतूल, जबलपुर, नौगांव, सतना, हरदा, उज्जैन के उन्नयन हेतु केन्द्र से प्राप्त सहायता राशि रुपये 1146.60 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,46,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत संस्था की स्थापना के लिये राशि रुपये 1.00 लाख राज्यांश एवं केन्द्रांश 1.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	50
मुख्य शीर्ष	2401

### मद क्रमांक 1

संचालनालय उद्यानिकी के अन्तर्गत स्वीकृत इन्वेस्टर्स मीट में निष्पादित एम.ओ.यू. एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के क्रियान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत रुपये 2.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

उद्यानिकी संचालनालय के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना नेशनल मिशन आफ फूड प्रोसेसिंग योजना हेतु केन्द्रांश में राशि रुपये 815.25 लाख एवं राज्यांश में रुपये 0.01 लाख कुल राशि रुपये 815.26 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु 8,15,26,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	51
मुख्य शीर्ष	2250

### मद क्रमांक 1

शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये सर्वेक्षण, अन्वेषण, रूपांकन हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

तीर्थ यात्रा के लिये राजसहायता अंतर्गत राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52  
मुख्य शीर्ष 2215

### मद क्रमांक 1

भारत सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशों के तहत संधारण कार्य पर कुल बजट का 10 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत तक राशि का उपयोग किया जा सकेगा। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से समतुल्य राज्यांश का व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु केन्द्रांश के रूप में रुपये 25.84 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 25.84 लाख इस प्रकार कुल रुपये 51.68 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 51,68,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 2

जिला पंचायत स्तर पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा छठी में प्रवेशित आदिवासी बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप रुपये 500/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 10.82 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,82,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

जिला पंचायत स्तर पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा 9वी एवं 11वी में प्रवेशित आदिवासी बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप क्रमशः रुपये 1000/-, रुपये 3000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 119.27 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,19,27,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

जनपद पंचायत स्तर पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा छठी में प्रवेशित आदिवासी बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप रुपये 500/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 7.23 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,23,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

जनपद पंचायत स्तर पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा 9वी एवं 11वी में प्रवेशित आदिवासी बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप क्रमशः रुपये 1000/-, रुपये 3000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 75.52 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,52,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 6 से कक्षा 10 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 505.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,05,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

ग्राम पंचायत स्तर पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा छठी में प्रवेशित आदिवासी बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप रुपये 500/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 18.15 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,15,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

ग्राम पंचायत स्तर पर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं में अध्यापन के प्रति रुचि जागृत करने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा 9वीं एवं 11वीं में प्रवेशित आदिवासी बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप क्रमशः रुपये 1000/-, रुपये 3000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 203.51 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,03,51,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 9

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 59 वर्ष आयु के निःशक्त हितग्राहियों को रुपये 200/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्रों की जिला पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 78.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 78,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 59 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं को रुपये 200/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्रों की जिला पंचायत स्तर पर हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 104.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,04,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 से 79 वर्ष आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रुपये 200/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रुपये 500/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्रों की जिला पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 146.68 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,46,68,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 59 वर्ष आयु के निःशक्त हितग्राहियों को रुपये 200/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्रों की जनपद पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 78.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 78,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 59 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं को रुपये 200/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्रों की जनपद पंचायत स्तर पर हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 104.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,04,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 से 79 वर्ष आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रुपये 200/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रुपये 500/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्रों की जनपद पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 146.68 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,46,68,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 15

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 59 वर्ष आयु के निःशक्त हितग्राहियों को रुपये 200/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 234.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,34,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 16

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 59 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं को रुपये 200/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 312.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,12,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 17

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 से 79 वर्ष आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रुपये 200/- एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रुपये 500/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम पंचायत स्तर के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 440.05 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,40,05,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

### मद क्रमांक 18

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना को तहत 75 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55

मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 1

बाल भवनों की स्थापना योजनांतर्गत मकान किराया भत्ता मद में राशि रूपये 76 हजार का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 76,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 7

महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय योजनांतर्गत मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ता, वर्दियां, पेट्रोल तेल, सुरक्षा व्यवस्था में राशि रूपये 18.20 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय योजना अंतर्गत डिक्रीधन का भुगतान मद में राशि रूपये 6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।



### मद क्रमांक 9 - 11

किशोर न्याय अधिनियम 1986 का क्रियान्वयन बालिका किशोर गृह की स्थापना योजनांतर्गत वेतन, मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ते मद में कुल राशि रूपये 6.99 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 6,99,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12 - 14

मध्यप्रदेश किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संस्थाएँ योजना में मकान किराया भत्ता, ग्रेड-पे तथा किराया महसूल एवं स्थानीय कर मद अंतर्गत राशि रूपये 12.26 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रू. 12,26,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 15

बालवाडियों शास. अनाथालयों तथा कुष्ठ रोगियों के लिये गृह अंतर्गत मकान किराया भत्ता मद में राशि रूपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 16

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत मकान किराया भत्ता मद में राशि रूपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 17

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद में राशि रूपये 100.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 18

राज्य महिला आयोग का गठन अंतर्गत कार्यालय उपकरणों का क्रय हेतु नवीन मद खोलते हुए राशि रूपये 100/- का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 19

निराश्रित महिला गृह सिलाई केन्द्र तथा महिलाओं के लिये संस्था अंतर्गत मकान किराया भत्ता मद में राशि रूपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 20

लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता मद में राशि रूपये 150.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,50,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 21**

नवीन योजना-किशोरी बालिकाओं का कौशल उन्नयन अंतर्गत प्रशिक्षण मद हेतु राशि रूपये 100/- का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236

**मद क्रमांक 22**

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजनांतर्गत मकान किराया भत्ता मद में राशि रूपये 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

**मद क्रमांक 23**

नाबार्ड अंतर्गत प्री-फेब तकनीक से आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण (नवीन योजना) में वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56

मुख्य शीर्ष 2851

**मद क्रमांक 1**

आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, म. प्र. भोपाल के अंतर्गत कपास योजना में अधिकारियों/कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता के एरियर्स/स्वत्वों के भुगतान हेतु नवीन मद खोलते हुये राशि रूपये 3.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 3,00,000/- के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

आयुक्त, हाथकरघा मध्यप्रदेश भोपाल अंतर्गत एकीकृत हाथकरघा विकास योजना के क्रियान्वयन के लिये राशि रूपये 387.778 लाख की आवश्यकता है। इसमें राज्यांश राशि रूपये 209.00 लाख तथा केन्द्रांश राशि रूपये 178.778 लाख है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 3,87,77,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, म. प्र., भोपाल के अंतर्गत कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण योजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुए रूपये 100/- का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश के अंतर्गत रूपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

संचालक, मध्यप्रदेश, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के अंतर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुए राशि रूपये 100/- का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100/- के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

आयुक्त, हाथकरघा, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के अंतर्गत माटीकला उद्यमियों के कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना अंतर्गत रूपये 100/- का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

आयुक्त, रेशम, संचालनालय, मध्यप्रदेश के अंतर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजनान्तर्गत नवीन मद खोलते हुए राशि रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 - 10**

आयुक्त, रेशम संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल अंतर्गत रेशम उद्योग का विकास कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रशिक्षण, परिवहन व्यवस्था, लघु निर्माण कार्य एवं अन्य प्रभार मद में राशि रूपये 99.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 99,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

आयुक्त, रेशम संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल अंतर्गत उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रत्यक्ष राज सहायता हेतु राशि रूपये 180.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

आयुक्त, रेशम संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत एकीकृत कलस्टर विकास कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन के लिये राशि रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 57  
मुख्य शीर्ष 4700

**मद क्रमांक 1**

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार योजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58  
मुख्य शीर्ष 2245

**मद क्रमांक 1**

राहत आयुक्त कार्यालय के निर्देशन और प्रशासन अंतर्गत मकान किराया मद में रूपये 50,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 61

मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 1**

12वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास विशेष पैकेज हेतु राशि रुपये 23.71 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,71,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुपालन विकास ( अनुसूचित जाति उपयोजना ) हेतु राशि रुपये 665.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,65,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

**मद क्रमांक 3-4**

बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग के खेत तालाब योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सामान्य मद में रुपये 24.10 करोड़ तथा अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 6.00 करोड़ इस प्रकार कुल रुपये 30.10 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4401

**मद क्रमांक 5**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र., भोपाल के अंतर्गत भण्डार एवं विपणन योजनान्तर्गत राशि रुपये 23780.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,37,80,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज ( अनुसूचित जाति उपयोजना ) के अंतर्गत भण्डार एवं विपणन हेतु राशि रुपये 6670.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 66,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 62

मुख्य शीर्ष 2515

**मद क्रमांक 1 - 5**

आयुक्त पंचायत राज संचालनालय भोपाल के अंतर्गत भारतीय प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 5.70 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 63

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 1**

ऊर्दू अकादमी के पुस्तकालय, सम्मान एवं ईनाम, पुस्तक प्रकाशन, कार्यालयीन व्यय हेतु राशि रुपये 25.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64  
मुख्य शीर्ष 2203

**मद क्रमांक 1**

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित पोलिटेकनिक महाविद्यालय के उन्नयन हेतु रुपये 220.50 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। जो संस्थाओं द्वारा नवीन उपकरण के क्रय में व्यय किया जावेगा। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में राशि रुपये 220.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,20,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 2**

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना अंतर्गत भारत शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार राज्य शासन को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 3520.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

नर्सिंग सर्विसेज का सुदृढीकरण एवं उन्नयन योजना अंतर्गत भारत शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार राज्य शासन को 15 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 232.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,32,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राष्ट्रीय आयोडिन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत भारत शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार 100 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 4.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 - 7**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित जिला चिकित्सालयों में पदस्थ अमले के वेतन, भत्तों के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 320.57 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,20,57,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8 - 10**

चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र - छात्राओं के लिये कम्प्यूटर सेंटर की स्थापना, खेल एवं जिम्नेजियम के लिये आधुनिक उपकरण, ई-पुस्तकालय तथा आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिये संपूर्ण विषय का एक सेट, लेपटाप तथा विशेष कोचिंग क्लास पर रुपये 206.34 लाख तथा शिष्यवृत्ति हेतु रुपये 180.00 लाख कुल रुपये 386.34 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 386.34 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,86,34,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 11**

कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास के 2 वाहन कण्डम होने के कारण नीलाम किये गये हैं, जिनके स्थान पर 2 नवीन वाहन क्रय किये जाना है। इस पर अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 16.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम के स्थापना व्यय हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनांतर्गत पूर्व निर्धारित आय सीमा रुपये 1.45 लाख से बढ़ाकर रुपये 2.00 लाख वार्षिक की गई है एवं छात्रवृत्ति की दरों में परिवर्तन किया गया है तथा पोष्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी छात्रों की संख्या में वृद्धि व गत वर्ष के लंबित दायित्वों हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 6606.00 लाख का व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 66,06,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

कौशल उन्नयन रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्य योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 650.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा आकस्मिकता योजना नियम 1995 के अंतर्गत विशेष न्यायालय सतना, नरसिंहपुर, रायसेन एवं रीवा के वाहन कण्डम होने के कारण नीलाम किये गये हैं। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 4 वाहनो का क्रय 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राशि रुपये 22.00 लाख की लागत से किया जाना है। राज्यांश के व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 16**

दीनदयाल अंत्योदय मिशन योजना अंतर्गत मुख्य मंत्री कन्यादान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजानांतर्गत सहायता राशि रुपये 10,000/- से बढ़ाकर रुपये 15,000/- की गई है। वर्ष के आगामी माहो में सामूहिक विवाह संपन्न करवाये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 400.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17**

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को रुपये 10,000/- की सहायता प्रदान की जाती है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 59 वर्ष आयु के निःशक्त हितग्राहियों को रुपये 200/- प्रति माह पेंशन दी जाती है। इस हेतु अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की नगर निगम क्षेत्रों के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 28.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 59 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं को रुपये



क्षेत्रों के हितग्राहियों को पेंशन भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 263.40 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,63,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 27

सामाजिक न्याय के अंतर्गत श्रमिक संवर्ग की योजनाओं को सम्मिलित करने के फलस्वरूप नवीन अत्येष्टि सहायता योजना प्रस्तावित है, इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

### मद क्रमांक 28 - 32

गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना में पदस्थ अमले एवं कार्यभारित / आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन भत्तो हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 152.79 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,52,79,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 33

पशुपालन विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 907.95 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,07,95,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

### मद क्रमांक 34

मछली पालन विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 28.52 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,52,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

### मद क्रमांक 35

सेटेलार्ड इमेजरी क्रय किये जाने हेतु रुपये 240.00 का व्यय संभावित है, जो अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगी। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में राशि रुपये 240.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,40,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

### मद क्रमांक 36

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन पर रुपये 405.00 लाख का व्यय होना संभावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 405.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,05,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

### मद क्रमांक 37

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत मध्यप्रदेश राज्य को इयरमार्क जलगुणवत्ता कार्यक्रम हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना में राज्यांश के रूप में राशि रुपये 313.00 लाख एवं केन्द्रांश के रूप में राशि रुपये 313.00 लाख कुल राशि रुपये 626.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,26,00,000/- अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



**मद क्रमांक 38**

भारत सरकार द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत भू-जल संवर्धन कार्यक्रम योजना हेतु राशि प्राप्त होने की संभावना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में राशि रुपये 1071.22 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,71,22,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

**मद क्रमांक 39**

कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था हेतु विद्युत वितरण कंपनी को धनवेष्टन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 2179.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,79,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 40**

पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिये धनवेष्टन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 4000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 41**

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में धनवेष्टन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 7623.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 76,23,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 42**

सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई हेतु धनवेष्टन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना में वित्तीय वर्ष में रुपये 1552.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,52,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 43**

मालवा ताप विद्युत परियोजना हेतु धनवेष्टन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना में वित्तीय वर्ष में रुपये 4000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

**मद क्रमांक 44**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित मार्गों का निर्माण कार्य कराया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (लाख में)
------	--------------	-----------------	----------------

1. छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा चौराई चांद मार्ग	6.60	214.92
--------------	----------------------------	------	--------

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 45**

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत निम्नांकित मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत
1.	सागर	खुरई सबजेल पहुंच मार्ग	3.00	175.74
2.	सागर	बिलहरा पनारी चंदोनी मार्ग	7.60	139.34
3.	सागर	जेसीनगर गेहूंरास मार्ग	6.00	104.97
4.	टीकमगढ़	मजना पलेरा मार्ग कि.मी. 44 से 52/6	8.60	294.20
5.	टीकमगढ़	कुडीला पचेर मार्ग कि.मी. 11,12,13,21,22,23	6.00	238.64
6.	रायसेन	चैनपुर से गगन बाड़ा मार्ग	10.00	197.18
7.	रायसेन	अमरावद से भारकच्छ मार्ग	6.40	154.42
8.	टीकमगढ़	मजना पलेरा मार्ग कि.मी. 17,18,22,23	4.00	99.61
9.	टीकमगढ़	मजना पलेरा मार्ग कि.मी. 35 से 37	3.00	99.61
10.	टीकमगढ़	मजना पलेरा मार्ग कि.मी. 38 से 40	3.00	99.61
11.	टीकमगढ़	मजना पलेरा मार्ग कि.मी. 41 से 43	3.00	99.61
12.	मंदसौर	बड़वन से आक्या व्याहा धमनार	10.00	450.00
13.	मंदसौर	गुलियाना से रातीखेडी व्हाया निपानिया जोगीखेडी	11.00	495.00
14.	मंदसौर	मुंदेडी से नाहरगढ़	14.00	630.00

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 65  
मुख्य शीर्ष 2052

### मद क्रमांक 1 - 7

विमानन संचालनालय अंतर्गत वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां तथा सामग्री एवं पूर्तियां मद में राशि रुपये 375.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,75,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66  
मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 1

पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

### मद क्रमांक 2

पिछड़ा वर्ग के 100 सीटर बालक छातावास भवनों के निर्माण हेतु राशि रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67  
मुख्य शीर्ष 2059

### मद क्रमांक 1

लोक सेवा आयोग के कार्यालय भवन के अनुरक्षण हेतु रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

शासकीय आवासीय भवनों के अनुरक्षण-साधारण मरम्मत हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 69  
मुख्य शीर्ष 3425

**मद क्रमांक 1**

ई-डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाईड रोल आउट परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर हार्डवेयर क्रय कर स्थापित किये जाने हेतु राशि रुपये 1041.66 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,41,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नई तकनीकों के प्रयोगों के पोषण हेतु संस्थाओं एवं शासकीय विभाग को सहायता अंतर्गत राशि रुपये 150.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क परियोजना अंतर्गत वैकल्पिक सेवा प्रदाता के माध्यम से कनेक्टिविटी की सम अतिरिक्त/वैकल्पिक व्यवस्था के लिये राशि रुपये 430.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

कौशल विकास मिशन अंतर्गत स्किल सर्वे एवं प्रशिक्षण हेतु राशि रुपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है। व्यय की पूर्ति बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा किये जा रहे निवेश के लिये कंपनियों को ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाना है। अतः नवीन योजना अंतर्गत रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012 के अंतर्गत राज्य के मूल निवासी इंजीनियर्स/आई.टी./आई.टी.ई.एस. प्रोफेशनल्स को स्किल गैप प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण व्यय की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु नवीन योजना अंतर्गत राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012 अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को गुणवत्ता प्रमाणीकरण व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नवीन योजना अंतर्गत राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9 - 10

मैप आई.टी. में नवीन पदों के सृजन पश्चात होने वाले व्यय एवं सेमीनार/सम्मेलन हेतु कुल राशि रुपये 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

शासकीय विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देने हेतु राशि रुपये 181.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,81,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012 अंतर्गत औद्योगिक ईकाइयों को लागत पूंजी अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु नवीन योजना अंतर्गत राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5425

### मद क्रमांक 12

प्रदेश में साफ्टवेयर हेक् नालाजी पार्क की स्थापना हेतु एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में रुपये 2000.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 72

मुख्य शीर्ष 2210

### मद क्रमांक 1

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गैस राहत में कैंसर मरीजों के चिकित्सा देयकों के भुगतान हेतु राशि रुपये 3.40 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

### मद क्रमांक 2

मास्टर लालसिंह चिकित्सालय में ई.टी.पी. हेतु राशि रुपये 0.216 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में लिफ्ट स्थापना के कार्य हेतु राशि रुपये 3.685 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,68,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

पल्मोनरी मेडिकल सेन्टर अस्पताल में ई.टी.पी. कार्य हेतु राशि रुपये 10.15 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73  
मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 1 - 6**

चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों के लिये बिजली, पानी के देयकों के भुगतान, अनुरक्षण कार्य, सामग्री एवं पूर्तियां, मशीनें एवं संयंत्र तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान आदि हेतु कुल राशि रुपये 2668.30 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,68,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 - 8**

चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में माड्यूलर आपरेशन थियेटर हेतु 100.00 लाख एवं स्वशासी संस्था में नियुक्त कर्मचारियों तथा अधिकारियों के वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 2400.00 लाख कुल राशि रुपये 2500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9 - 15**

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा में वेतन, भत्ते, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, अभिभाषकों की फीस आदि के लिये राशि रुपये 88.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 88,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16 - 17**

चिकित्सा महाविद्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन हेतु राशि रुपये 1230.00 लाख एवं बिजली, पानी के लिये राशि रुपये 159.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 1389.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,89,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

**मद क्रमांक 18**

मानसिक चिकित्सालय इंदौर के सुदृढीकरण के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में न्यूरो सर्जरी विभाग की स्थापना के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 312.00 लाख का व्यय होना संभावित है। इस राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 20**

चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में बाऊंड्री वाल के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 25.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74  
मुख्य शीर्ष 2215

**मद क्रमांक 1**

नलकूपों का अनुरक्षण हेतु राशि राज्यांश रुपये 606.09 लाख एवं रुपये 606.09 लाख केन्द्रांश कुल राशि रुपये 1212.18 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 20-4215 से राशि समर्पित कर की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,12,18,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2,6,9**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना उपमद 196 में राशि रुपये 130.00 लाख 197 में राशि रुपये 130.00 लाख एवं 198 में राशि रुपये 390.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 650.00 लाख व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश के रूप में रुपये 6,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3,7,10**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना उपमद 196 में राशि रुपये 286.00 लाख, 197 में राशि रुपये 286.00 लाख एवं 198 में राशि रुपये 858.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 1430.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश के रूप में रुपये 14,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हेतु राशि रुपये 500.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5,8,11**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु उपमद 196 में राशि रुपये 425.348 लाख, 197 में राशि रुपये 425.348 लाख एवं 198 में राशि रुपये 1376.04 लाख कुल राशि रुपये 2226.740 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 22,26,74,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन अंतर्गत मछुआरों को मत्स्य पालन विकास हेतु अनुदान राशि रुपये 25.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

मछुआ सहकारी समितियों को अनुदान राशि रुपये 17.47 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 17,47,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

एकीकृत पड़त भूमि विकास योजना सामान्य कार्यक्रम अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि जारी की गई, जिसके लिये रुपये 100/- के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु नवीन मद स्थापित की जाना प्रस्तावित है। अतः रुपये 100/- के प्रतीक प्रावधान के साथ यह मद स्थापित की जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75  
मुख्य शीर्ष 2215

**मद क्रमांक 1 - 5**

प्रदेश की जलप्रदाय योजनाओं की स्थापना अंतर्गत वेतन भत्तों के लिये राशि रुपये 1004.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,04,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6 - 10**

प्रदेश के जलप्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण अंतर्गत वेतन भत्तों के लिये राशि रुपये 2286.90 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,86,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

स्थानीय संस्थाओं की जलप्रदाय योजनाओं का संधारण अंतर्गत वेतन भत्तों के लिये राशि रुपये 337.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,37,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

**मद क्रमांक 12,14,15**

इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स योजना अंतर्गत (191) में राशि रुपये 3549.08 लाख का व्यय, (192) में राशि रुपये 17049.50 लाख एवं (193) में राशि रुपये 949.39 लाख कुल राशि रुपये 21547.97 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,15,47,97,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इंदौर में हुये आयोजन हेतु इंदौर नगर निगम को अधोसंरचना कार्यों पर हुये व्यय के लिये राशि रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये राशि रुपये 250.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17**

शहरी फेरीवालों की कल्याण योजना (हितग्राही मूलक) हेतु राशि रुपये 162.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,62,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18**

शहरी फेरीवालों की कल्याण योजना (अधोसंरचना का विकास) हेतु राशि रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राज्यांश की राशि रुपये 184.63 लाख एवं केन्द्रांश की राशि रुपये 738.52 लाख कुल राशि रुपये 923.15 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,23,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 20,23,24**

इंदिरा गांधी निःशुल्क पेंशन योजना उपमद 191 में राशि रुपये 70.00 लाख, 192 में राशि रुपये 87.50 लाख एवं 193 में राशि रुपये 192.50 लाख कुल राशि रुपये 350.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 21,26,27**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना उपमद 191 में राशि रुपये 154.00 लाख, 192 में राशि रुपये 192.50 लाख एवं 193 में राशि रुपये 423.50 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 770.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 22,25,28**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना उपमद 191 में राशि रुपये 229.03 लाख, 192 में राशि रुपये 286.29 लाख एवं 193 में राशि रुपये 629.84 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 1145.16 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,45,16,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

**मद क्रमांक 29**

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार को नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु राशि रुपये 1500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 77

मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1 - 7**

स्कूल शिक्षा के अंतर्गत संचालित माध्यमिक विद्यालयों के लिये क्रमशः वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड पे, मकान किराया भत्ता आदि के लिये रुपये 134.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,34,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

व्यवसायिक परीक्षा मंडल को संयुक्त चयन परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान किये जाने हेतु राशि रुपये 12.39 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,39,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत 35 जिलों में साइकिलों के प्रदाय किये जाने हेतु राशि रुपये 1730.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

**मद क्रमांक 10**

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण कराये जाने हेतु रुपये 1000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।